

**RAVI DUTT KAUSHIK**

Advocate

Enrolment No.UP07630/2001

**NON ENCUMBRANCE CERTIFICATE**

This is to certify that i have searched the land record in office of Sub Registrar 2nd Ghaziabad (U.P). With regards Khasra No. 1093 (area 4552 square meter, 2277 square meter, 2276 square meter) situated at Village Morta, pargana Jalalabad, at Ghaziabad (U.P). I have gone through the ownership and original title of the properties.

The Owner of the above said properties is A R Buildtech Pvt Ltd having its registered office at T-22-03-01 Common Wealth Games Village, Delhi-110092.

Thus it is further satisfied that there is No Encumbrance upon the land of the company.

I am having more than 10 years of experience as an advocate in dealing with land related and other matters.

**RAVI DUTT KAUSHIK**

Advocate  
Ch.No. 20, Tehsil Compound  
Ghaziabad

**RAVI DUTT KAUSHIK**

(Advocate)

Dated: 30-04-2025

RAVI DUTT KAUSHIK (Advocate) Enrolment No.- UP07630/2001 Chamber  
No.-894, First Floor, District Court, Rajnagar Ghaziabad, U.P. Mobile No.  
9999575600 E-mail:- RAVI. D.KAUSHIK@gmail.com



कार्यालय उपनिबन्धक      सदर द्वितीय      गाजियाबाद  
जनपद      गाजियाबाद

आवेदन संख्या :2202513700412

प्रमाण संख्या :22025137000397

भार मुक्त प्रमाण-पत्र  
(रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- ओमदत्त कौशिक एड० पुत्र . तहसील गाजियाबाद जिला गाजियाबाद ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का विवरण : ग्राम/मोहल्ला - मोरटा, वार्ड/परगना- जलालाबाद, आवासीय- मैसर्स ए० आर० बिल्टैक प्रा०लि०, भूमि रकबई-0.9105 हेक्टेयर खसरा नं०-1093मि स्थित ग्राम मोरटा परगना जलालाबाद तह०व जिला गा०बाद। , खसरा नं०-1093मि

मै एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 22/04/2013 से दिनांक 22/04/2025 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमे निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :22-04-2025

नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर दूँडे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा

आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।

2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बंधित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।

4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: **विजय सिंह।**

मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक : **विजय सिंह।**

**VIJAY  
SINGH**

Digitally signed  
by VIJAY SINGH  
Date: 2025.04.22  
13:12:07 +05'30'

उपनिबन्धक      सदर द्वितीय  
गाजियाबाद

